

2.23

प्रपत्र-54

परियोजना का नाम- जनपद बागेश्वर में 33/11KV सबस्टेशन बागेश्वर से  
33/11KV सबस्टेशन कपकोट तक 33KV लाइन का निर्माण कार्य

वन संरक्षण अधिनियम १९८० का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है की परियोजना का निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर  
वन संरक्षण अधिनियम १९८० का उल्लंघन नहीं हुआ है

हं  
प्रयोजित  
विद्युत् प्रकृतिक कार्य केंद्र  
सहायक उपायक कारपोरेसन लि०  
हस्दानी (मैनीवाल)

वन क्षेत्राधिकारी  
बागेश्वर वन क्षेत्र  
बागेश्वर वन प्रभाग

हं  
वन प्रभाग  
बागेश्वर

हं  
प्रभागीय वनाधिकारी  
बागेश्वर वन क्षेत्र  
बागेश्वर वन प्रभाग